प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला **जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर** वर्ष **2022** प्र0इ0रि0 सं. 14/2022 दिनांक 18/01/2022
2. (I) अधिनियम ...पी0सी0 एक्ट ...धारायें 7, भ्र0निवारण(संशोधित) अधि0 2018
   (II) अधिनियम भा.द.स. धारायें ....201,384, 120बी भादसं .....
   (III) अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 443 समय 6.30 pm
   (ब) अपराध घटने का दिन रविवार दिनांक 16.01.2022 समय 11.45 ए.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – 14.01.2022 समय–02.00 पीएम
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित
5. घटनास्थलः पुलिस थाना गंगाशहर, बीकानेर राज.

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– लगभग 350 किमी

(ब) पता– पुलिस थाना गंगाशहर, बीकानेर राज.
बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. 1. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री सुरेंद्र धारीवाल
   (ब) पिता/पति का नाम – श्री राजपाल उर्फ राजसिंह
   (स) जन्म तिथी/वर्ष – 38 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता – .....भारतीय.....
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय– व्यापारी
   (ल) पता– निवासी मकान नंबर ए–5बी, जनकपुरी, दिल्ली पुलिस थाना जनकपुरी दिल्ली
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –
   1. श्री राणीदान पुत्र श्री सवाई सिंह, जाति चारण, उम्र 47 निवासी 64 भवानीपुरा पोकरण, जैसलमेर राज. हाल पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना गंगाशहर, बीकानेर।
   2. श्री जगदीश सउनि पुलिस थाना गंगाशहर, बीकानेर ।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :—.... कोई नहीं.
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) एक छोटा सीपीयू की मांग कर प्राप्त करना एंव मांग सत्यापन में एक सरकारी वॉईस रिकॉर्डर, परिवादी का एक एप्पल मोबाईल, पॉवर बैंक रिकॉर्डर, सीपीयू
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

हालात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 14.01.2022 को परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल पुत्र राजपाल उर्फ राज सिंह जाति जाट उम्र 38 साल निवासी मकान नम्बर ए 5बी, जनकपुरी दिल्ली पुलिस थाना जनकपुरी दिल्ली ने एक लिखित प्रार्थना पत्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक अनीता मीणा को परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिखाते हुये कक्ष में उपस्थित व्यक्ति से परिचय कराते हुये बताया कि यह परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल है। जिन्होने यह हस्तलिखित प्रार्थना पत्र दिया है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त प्रार्थना–पत्र के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करने का लिखित में पृष्ठांकित कर मुझे सुपुर्द किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय प्रार्थना पत्र व परिवादी सुरेंद्र धारीवाल को हमराह लेकर मेरे कक्ष में आई तथा परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल का

पूर्ण नाम पता पूछा । इसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि " सेवा में, श्रीमान अतिरिकत पुलिस अधीक्षक c.T IV भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर विषयः– रिश्वत लेने हेतु रंगे हाथ पकडवाने हेतु, मान्यवर, मै सुरेंद्र धारीवाल जनकपुरी दिल्ली का निवासी हूँ जनकपुरी में मेरी इलेक्ट्रानिक डिवाइस की SHOP है जैसे हिंडन केमरा माइकोफोन स्पीकर GPS TRACKER आदि में डील करते है। दिनांक 08.11.2021 थाना गंगाशहर बीकानेर के जगदीश कुमार (A.S.I) और चार सिपाही के साथ मेरी SHOP पर आये उन्होने SHOP से 1 LAKH 2 हजार रूपये, मेरे 2 फोन, 3 छोट C.P.U, 2 LAPTOP,1 D.V.R ले लिए इसके बाद उन्होने SHOP में तोड फोड की और मुझे गिरफ्तार किया मुझे मुकदमा नम्बर 226/21 थाना गंगाशहर बीकानेर में गिरफतार किया और मुझसे कहा कि मैने अवैध सामान बेचा है, मेरे पास उपकरण बेचने का LICENCE है लेकिन उन्होने मेरी भी बात नही सुनी मेरे दुकान से 1 LAKH 2 हजार रूपये व जो सामान उन्होने लिया था वो व जो सामान उन्होने लिया था वो जप्ती मे नही दिखाया इसके बाद मुझे बीकानेर लेकर आगए यहा रानीदान (S.H.O) CI थाना बीकानेर गगाशहर ने मुझे मारा पीटा और मुझसे 5 LAKH की डिमाण्ड की जब मैने उसको बताया कि मै 5 LAKH नहीं दे सकता तो उसने मुझे और झुठे केस फंसाने की धमकी जो कि उन लोगो ने मुझे झूठे केस मे फसा दिया अब मुझे और भी केसों में फसाना चाहते है पैसे न देने पर मेरे फोन से बीकानेर के जो मेरे client थे उनके नम्बर निकाले और मुझपर उनको फसवाने का दवाव डाला झुमर सोनी बीकानेर का व्यक्ति जो मेरा software,Hardware का client है और मुझे धमकाने लगे कि इसका नाम ले और बोल इसका इसमे Involment है नही तो तुझे मारेंगे पीटेंगे मेरे द्वारा नही पहचानने पर उन्होने मुझे मारा पीटा और मेरी p.c बढाई गई, अभी मै 7/jan/2022 को मै जमानत पर बरी होकर थाना पहुँचा तो मुझे जगदीश A.S.I और रानीदान C.I थाने पर नही मिले तो मैने उनको फोन किया तो दोनो ने बोला कि तेरा सारा सामान जप्त है तुम्हे इसके लिए रूपये देने पडेंगे तभी तुम्हारा सामान तुम्हे देगे मुझे जिस मुकदमे मे उन्होने गिरफतार किया था उसमे मेरी कोई भी सामान की जप्ती नही दिखाई अब वो मुझे बीकानेर मे ही एक दुसरे केस पौरव कालेर मे भी फसाने की धमकी व साजिश कर रहे है, और मुझे पेशेवर मुजरिम बनाने की धमकी दे रहे है दुसरे केसो मे न फसाने की इवज में व मेरा सामान मुझसे 1 LAKH रूपये की मांग कर रहे है उन्होने मुझे धमकाते हुए बोला कि P.C मतलब जानते हो ना पैसा और मेरे घरवालो पर रूपये देने के लिए दबाव बनाया मै उन्हे रूपये नही देना चाहता उचित कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूँ एसडी सुरेंद्र धारीवाल s/o राजपाल सिंह निवासी A5/B जनकपुरी दिल्ली मोबाईल नम्बर 8076767375, 14/01/2022 इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से मजीद दरियाफ्त करने पर परिवादी श्री सुरेंद्र धारीवाल ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मैने लिखा है तथा परिवादी ने बताया कि मेरी दिल्ली में ईलैक्ट्रिोनिक हिडन डिवाईस की पृथ्वीराज एन्टरप्राईजेज के नाम से कम्पनी व शॉप है जिसमें मेरी पत्नी फरह प्रॉपराईटर है। उक्त दुकान व कम्पनी में सम्पूर्ण काम व देखरेख मेरे द्वारा ही किया जाता है। दिनांक 08.11.2021 को जगदीश एएसआई व चार कानिस्टेबल मेरी दुकान पर आये और मुझसे मेरे द्वारा ईलैक्ट्रिोनिक हिडन डिवाईससे के अवैध सामान बेचने के बारे में कहा तो मैने कहा कि मेरे पास उक्त दुकान में ईलैक्ट्रिोनिक हिडन डिवाईससे बेचने का लाईसेन्स है लेकिन उन्होने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरी दुकान से एक लाख दो हजार रूपये व मेरे दो फोन, तीन छोटे सीपीयू, दो लैपटॉप, एक डीवीआर लेकर आये तथा मेरे खिलाफ पुलिस थाना गंगाशहर बीकानेर में दर्ज मुकदमा नम्बर 226/2021 में मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरी गिरफ्तारी एंव जप्ती में मेरी दुकान से लाये सामान को जप्त करना नहीं दर्शाया जो सम्भवतः उनके पास ही है। जब दिनांक 07.01.2022 को मै उक्त मुकदमें में जमानत पर बाहर आया तो मैने जरिये फोन श्री जगदीश एएसआई व श्री राणीदान पुलिस निरीक्षक से सम्पर्क किया तो उन्होने मेरा सामान जप्त होना बताया तथा मुझे कहा कि उक्त सामान कोर्ट से ही छूटेगा। उक्त सामान के बारे में वकील से पूछा तो उसने कहा कि आपका सामान जप्त नहीं है। श्री जगदीश एएसआई ने मुझे कहा कि मै अभी गांव आ रखा हूँ तू कल मिल मेरे से, जो पुराना पैण्डिंग हिसाब 1 लाख रूपये है देकर जाना तब ही तेरा सामान लौटा दूंगा तथा मुझे यह भी कहा कि रूपये नहीं देने की एवज में अन्य मुकदमें में फंसाने की धमकी दी। मेरी श्री राणीदान पुलिस निरीक्षक व श्री जगदीश एएसआई से कोई रंजिश या उधार का लेन देन नहीं है। मै उन्हें अपने सामान को प्राप्त करने और मुझे अन्य मुकदमें में नही फंसाने के लिए रिश्वत के रूप में रूपये नहीं देना चाहता हूँ। परिवादी से दरियाफ्त करने पर मामला रिश्वत लेन देने का प्रथम दृष्टया पायें जाने